e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सं०सं०– 03/भू०अ०नि० (04) वि० सर्वे०–10/2022.....446.........

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
बिहार
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।
सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।
सभी अपर समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :- 23/01/2024

विषय :- विशेष सर्वेक्षण कार्यों एवं बन्दोबस्त संबंधी कार्यों के लिए जिला अनुश्रवण के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–4046 दिनांक–16.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में स्पष्ट करना है कि जिन जिलों में पदस्थापित समाहर्त्ता, बन्दोबस्त पदाधिकारी से कनीय है, वहाँ कनीय पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारी के अनुश्रवण के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार– **"ऐसे मामले में अन्तर्निहित प्रशासनिक समस्या के समाधान हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को परामर्श दिया गया है कि जिन जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी से वरीय हों, उन जिलों के राजस्व ग्रामों के विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती से सम्बद्ध कार्यों के अनुश्रवण का दायित्त्व संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को दिया जाए।"**

इस आलोक में अनुरोध है कि–

1. जिन जिलों में समाहर्त्ता, बन्दोबस्त पदाधिकारी से वरीय है, वहाँ विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण समाहर्त्ता स्तर से करना सुनिश्चित किया जाए।
2. जिन जिलों में बन्दोबस्त पदाधिकारी समाहर्त्ता से वरीय है, वैसे जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संबंधी कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के मंतव्य के आलोक में प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर से की जाय।

अतः उक्त के अनुरूप जिला स्तर पर चलने वाले विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रगति की जिलास्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
23/1/24
(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2024\Birendra Sir\Director\file no-10_2022_23.01.2024_2.doc

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022..........443..........पटना, दिनांक: 23/01/2024

प्रतिलिपिः– सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0)/सभी राजस्व पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बिहार/भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के सभी जिलों नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022..........446..........पटना, दिनांक: 23/01/2024

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा//प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022..........446..........पटना, दिनांक: 23/01/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022..........446..........पटना, दिनांक 23/01/2024

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
23/1/24

D:\Sanjeev-2024\Birendra Sir\Director\File no-10_2022_23.01.2024_2.doc

832278/2022/O/O-DIR-DoLRS

पत्र संख्या : 1/पी–23/2011(खंड) –सा0 प्र0– 4046 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक :16 मार्च, 2022

विषय :– **विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संबंधी कार्यों के अनुश्रवण के संबंध में।**

प्रसंगः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक–17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा.)–101/2019– 4329 दिनांक 03.12.2021 एवं भवदीय पत्रांक–0–11001/19/2021–ई एस टी बी एस ई सी–डी ओ एल आर एस–डी ओ एल आर एस दिनांक 22.01.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक भवदीय पत्रों के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संबंधी कार्यों के अनुश्रवण के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा.) –101/2019– 4329 दिनांक 03.12.2021 से निर्गत निर्देशों के संबंध में श्री ओम प्रकाश यादव, भा0प्र0से0(2008), बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा द्वारा की गई आपत्ति पर भवदीय पत्रांक–0–11001/19/2021–ई एस टी बी एस ई सी–डी ओ एल आर एस–डी ओ एल आर एस दिनांक 22.01.2022 के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णय की अपेक्षा की गई है– छाया प्रति संलग्न।

2. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का सुविचारित प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित है। आलोच्य प्रस्ताव निम्नवत् है:–

"मामले में अन्तर्निहित प्रशासनिक समस्या के समाधान हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को परामर्श दिया जा सकता है कि जिन जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी से वरीय हों, उन जिलों के राजस्व ग्रामों के विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती से सम्बद्ध कार्यों के अनुश्रवण का दायित्व संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को दिया जाए।"

Generated from eOffice by BABLU KUMAR, DoLRS-ASST_ESTB(BK), ASSISTANT, DOLRS on 20/01/2024 11:59 am

3. अतः संदर्भित विषय से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग की संचिका संख्या—1/पी0—23/2011 (खण्ड) के संगत पृष्ठों (आदेश फलक के पृष्ठ—80—78/टि.) की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुमोदित संदर्भगत प्रस्ताव के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15.3.22

सरकार के अवर सचिव।

Generated from eOffice by BABLU KUMAR, DoLRS-ASST_ESTB(BK), ASSISTANT, DOLRS on 20/01/2024 12:00 pm